फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– ~~हरीराम पुत्र भंवरलाल~~ गोरादान पुत्र भभूतदान –::बनाम::– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :–160/2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कुड़की में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–कुड़की में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 34 व 35 प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी गोरादान ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 18.10.1973 को बैचानकर्ता भंवरदान पुत्र रणछोड़दान से क्रय किया गया। ना. सं. 384 दायर करते समय गोरादान के साथ गोरादान, परबतदान, चन्द्रसेन, पिदमणसिंह पिता भभूतदान हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया जिसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रशासन गांवो के संग अभियान कुड़की में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा–कुड़की में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 34 व 35 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। प्रार्थी गोरादान ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 18.10.1973 को बैचानकर्ता भंवरदान पुत्र रणछोड़दान से क्रय किया गया। ना. सं. 384 दायर करते समय गोरादान के साथ गोरादान, परबतदान, चन्द्रसेन, पिदमणसिंह पिता भभूतदान हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा–कुड़की में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 34 व 35 में प्रार्थी के हिस्से के साथ त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि परबतदान, चन्द्रसेन, पिदमणसिंह को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " गोरादन पुत्र भभूतदान 1/6 हिस्सा " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अ[illegible] अभिलेख [illegible] किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्[illegible]त रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर [illegible]ना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

SDO

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:23:04 IST
Reason: SelfAttested